अध्याय 4

पुनर्बीमा

4.1 पुनर्बीमा की आवश्यकता

कंपनी, निर्यातकों को अल्पावधि पालिसी और बैंकों को ईसीआईबी कवर, क्रमशः क्रेता और निर्यातक द्वारा भुगतान में चूक के जोखिम को कवर करने के लिए जारी कर रही थी। निम्न सारणी अल्पावधि पालिसियों, ईसीआईबी कवर और लम्बी अवधि परियोजना कवरों के सम्बन्ध में कंपनी द्वारा अधिकतम देयता का किया हुआ बीमा दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निवल मूल्य	अधिकतम देयता		
		पालिसी	ईसीआईबी	परियोजना निर्यात
2008-09	1886	24492	27327	2100
2009-10	1959	24590	28832	5984
2010-11	2062	25757	30812	2190

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि पालिसी, ईसीआईबी और परियोजना कवरों के तहत अधिकतम देयता, कंपनी के निवल मूल्य से बहुत अधिक थी, जो यह दर्शाता है कि पुनर्बीमा[28] के ज़रिये जोखिम को पर्याप्त रूप से सुरक्षा की आवश्यकता थी।

---

[28] *बीमा दावा के परिणाम में वृहत देयता की संभावना को कम करने के लिए करार के रूप में बीमाकर्त्ता का जोखिम पोर्टफोलियों के भाग अन्य पार्टियों को हस्तान्तरित करने की प्रथा।*

4.2 पुनर्बीमा व्यवस्था

2008-09 से 2010-11 के दौरान इरडा विनियमों के अनुसार जनरल इन्शोरेन्स कॉरपोरेशन आफ इण्डिया (जीआईसी) द्वारा 10 *प्रतिशत* (अनिवार्य समनुदेश) की सीमा तक कंपनी द्वारा उठाये गये जोखिम का स्वतः ही पुनर्बीमा किया जाता था।

उपर्युक्त संवैधानिक पुनर्बीमा के अलावा 2008-09 और 2009-10 के दौरान कंपनी ने सभी जोखिमों के क्रमशः 10 *प्रतिशत* और 15 *प्रतिशत* तक की सीमा तक आनुपातिक संधि[29] (स्वैच्छिक कोटा शेयर) की भी व्यवस्था की। तथापि यह व्यवस्था 2010-11 में जारी नहीं रखी जा सकी।

आनुपातिक संधि के अन्तर्गत व्यवस्था से, क्रेताओं/ निर्यातकों की चूक के कारण होने वाले बड़ी हानियों के जोखिम से कंपनी की सुरक्षा नहीं हो रही थी। इस संबन्ध में जोखिम को कम करने के लिए कंपनी ने एक एक्सैस ऑफ लॉस संधि (ईओएल) की व्यवस्था की (फरवरी 2008) जिसके अन्तर्गत 2008-09 और 2009-10 के लिए एक अवसीमा से अधिक हानियां पुनर्बीमाकर्ता को हस्तान्तरित की जानी थी। तथापि 2010-11 में ईओएल नहीं किया जा सका जैसा कि अगले पैरग्राफ मे चर्चा की गई है।

4.3 पुनर्बीमा व्यवस्था में कमियाँ

कम्पनी द्वारा पुनर्बीमा सुरक्षा की व्यवस्था में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियाँ पाईः

4.3.1 दीर्घावधि और मध्यमावधि परियोजनाओं का गैर-सरंक्षण

ईओएल सन्धि के अनुसार लघु अवधि पॉलिसी के सम्बंध में ₹ 5 करोड़ से अधिक हानि और ईसीआईबी कवर के संदर्भ में ₹ 10 करोड़ से अधिक हानि को 2008-09 में कवर किया गया था। इस सीमा को 2009-10 के दौरान लघु अवधि पॉलिसी और ईसीआईबी कवर के सन्दर्भ मे क्रमशः ₹ 10 करोड़ और ₹ 20 करोड़ तक संशोधित किया गया था।

यह देखा गया कि कम्पनी की ईओएल सन्धि कम्पनी के मध्यमावधि और दीर्घावधि प्रदर्शन परियोजना निर्यात[30] को कवर नहीं करती यद्यपि 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम देयता ₹ 2,100 करोड़ से ₹ 5,984 करोड़ की रेंज के बीच थी।

---

[29] *प्रीमियम और दावा समान अनुपात में बीमाकर्ता और पुर्नबीमाकर्ता द्वारा शेयर किया जायेगा।*

यह देखा गया कि एक निर्यातक मै. गैनन डन्कर्ली को 13.08.2010 से 12.08.2013 तक की अवधि के लिए ₹ 2730 करोड़ की अधिकतम देयता के साथ जारी की गई पॉलिसी बिना किसी उपर्युक्त पुनर्बीमा सुरक्षा के एकल वृहत जोखिम था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि मै. पुन्ज लॉयड अपस्ट्रीम लिमिटेड से सम्बंधित एक अन्य परियोजना निर्यात में 07.12.2009 से 23.08.2011 की अवधि के लिए ₹ 193.27 करोड़ के लिए बीमा पॉलिसी जारी गई की थी और कम्पनी ने ₹ 57.11 करोड़ के लिए दावा प्राप्त किया था जिसकी जाँच हो रही थी (मई 2012)। इस मामले में कम्पनी की देयता ₹ 51.40 करोड़ सम्भावित थी (जैसा कि कम्पनी ने बताया है) जिसको उपर्युक्त पुनर्बीमा कवर से कम किया जा सकता था।

कम्पनी ने अपने उत्तर में (मार्च 2012) पुनर्बीमा के माध्यम से दीर्घावधि और मध्यमावधि परियोजनाओं के गैर-संरक्षण के विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जून 2012) कि ईओएल की व्यवस्था लघुअवधि पॉलिसियों के लिए की गई थी और दीर्घ और मध्यमावधि कारोबार के सम्बंध में कम्पनी ने केस टू केस आधार पर कवर को बढ़ाया और इसलिए पुनर्बीमा की व्यवस्था केवल वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि दीर्घ अवधि और मध्यमावधि कारोबार प्रतियोगी दर पर वैकल्पिक कवर उपलब्ध नहीं था।

उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि यद्यपि मध्यमावधि और दीर्घावधि पॉलिसी केस टू केस आधार पर जारी की गई थी फिर भी अवस्थिति को ईओएल को तीव्र हानि से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर पुनर्बीमा बैकअप के बिना ऐसी अवस्थिति अनुमत करने के बजाय दीर्घ और मध्यमावधि पॉलिसी के कीमत निर्धारण को पुनर्बीमा लागत से गुण्नखण्ड करने की आवश्यकता है।

4.3.2 2010-11 में ईओएल के अन्तर्गत सुरक्षा नहीं

कम्पनी ने 2010-11 में ईओएल सुरक्षा नहीं ली। संवीक्षा मुख्य रूप से दर्शाती है कि कम्पनी फरवरी 2010 में ईओएल कवर के लिए उद्धरण प्राप्त करने के लिए जीआईसी के पास गई। जीआईसी ने जून 2010 में ईओएल कवर के लिए ₹ 76 करोड़ का प्रीमियम उद्धृत किया। तथापि कम्पनी ने महसूस किया कि मांगा गया प्रीमियम बहुत ज्यादा था और इसलिए कोई ईओएल सुरक्षा नहीं ली।

---

[30] *आस्थगित भुगतान शर्तों पर इंजीनियरिंग माल के निर्यात तथा टर्न-की परियोजनाओं तथा विदेशी सिविल निर्माण ठेकों के निष्पादन को सामूहिक रूप से "परियोजना निर्यात" कहा जाता है।*

यह देखा गया कि ईसीआईबी के अन्तर्गत वर्ष के दौरान दो निर्यातकों के संबंध में ₹ 157.27 करोड़ के बड़े दावे किए गए। ईओएल कवर के अभाव में समग्र राशि कम्पनी द्वारा वहन की गई। ईओएल कवर का परिणाम ₹ 101.55 करोड़ की वसूली हो सकती थी यदि वर्ष 2009-10 की तरह ही समान स्तर पर अवरोधन रहता जैसा कि नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

निर्यातक का नाम	भुगतान किया गया दावा	10 *प्रतिशत* की दर पर अनिवार्य वसूली	अनिवार्य वसूली के बाद बची हुई राशि	ईओएल बनाए रखना	पुनर्बीमा से वसूली योग्य राशि
जेबी डायमण्डस	77.64	7.76	69.88	20.00	49.88
बायोटर इन्डस्ट्रीज लि.	79.63	7.96	71.67	20.00	51.67
जोड़	**157.27**		**141.55**	**40.00**	**101.55**

इसके अतिरिक्त, मै टेलीडाटा इन्फोर्मेटिक्स से सम्बंधित वर्ष 2010-11 का वृहत दावा, जो ₹ 64.43 करोड़ की राशि का था, फरवरी 2012 तक लम्बित था और 2010-11 से सम्बंधित ऐसे ही और दावे प्राप्त होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

कम्पनी ने अपने उत्तर (मार्च 2012) मे बताया कि जीआईसी अकेली कम्पनी थी जो क्रेडिट इन्श्योरेन्स के सम्बन्ध में पुनर्बीमा की सुविधा देने की क्षमता रखती थी और इसके उद्धरण लागत प्रभावी नही थे और इसके अलावा और उसकी गैर-प्राप्ति के कारण अभी तक कोई विपरीत प्रभाव नहीं था।

मंत्रालय ने जीआईसी के उच्च उद्धरण से सम्बंधित कम्पनी के उत्तर का समर्थन किया (जून 2012) था। यह भी बताया गया कि पुनर्बीमा कराने वालों का प्रीमियम ₹ 76 करोड़ उद्धृत किया गया था और संभावित पुनर्नियोजित लागत से सम्बंधित निवल लाभ केवल ₹ 10 करोड़ था। उसने यह भी बताया कि यदि कम्पनी वर्ष 2010-11 के लिए उच्च प्रीमियम दरों को स्वीकार कर लेती तो यह भविष्य में आने वाले वर्षों का आधार बन सकता था।

मंत्रालय सहमत हुआ यदि वर्ष 2010-11 के दौरान पुनर्बीमा सुरक्षा की गई होती तो इससे कम्पनी को बचत हो सकती थी। तथापि 2010-11 के लिए उद्धृत किए गए प्रीमियम का परिणाम भविष्य के वर्षों को आधार बनने का मत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुनर्बीमा दर वर्ष दर वर्ष भिन्न थी जो इस तथ्य से सिद्ध होता है कि 2010-11 के लिए प्रीमियम ₹ 76 करोड़ उद्धृत करने के बाद, जीआईसी ने 2011-12 में ₹ 31 करोड़ का प्रीमियम स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त पुनर्बीमा सुरक्षा की आवश्यकता को कम नहीं आंका जा सकता।